राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(51)ग्राविवि–5/PMAY-G/PRAGARTI/2021–22/Part-III/02200 जयपुर दिनांक अगस्त, 2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत "आवास प्लस" पर त्रुटिवश गलत सर्वेकर्ता का विवरण अपलोड करने की स्थिति मे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध मॉड्यूल पर सर्वेकर्ता का विवरण अपडेट कराने के क्रम में।

सन्दर्भः–ग्रामीण विकास मंत्रायल, भारत सरकार के पत्र क्रमांकः M-12018/2/2019-RH-RH(M&T)-Part(1) दिनांक. 22.08.24।

प्रसंग :–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20.08.2024।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा "आवास प्लस" की वरीयता सूची के अपडेशन एवं अपलोड होने से शेष रहें पात्र परिवारों की सर्वे से पूर्व तैयारी के क्रम में ग्राम पंचायतवार सर्वेकर्ता का विवरण पंचायत समिति स्तर से "आवास सॉफ्ट" पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक प्रावधान प्रभावी के संबंध में अवगत कराया गया है। जिस संबंध में विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियुक्त सर्वेकर्ता का विवरण "आवास सॉफ्ट" पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि "आवास सॉफ्ट" पर सर्वेकर्ता का विवरण अपलोड करने के दौरान त्रुटिवश गलत जानकारी अपलोड हो गई, के संम्बध मे सुधार करने हेतू ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायत समिति स्तर पर अपडेट करने का मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है।

उक्तानुसार "आवास सॉफ्ट" पर उपलब्ध संशोधन मॉड्यूल का उपयोग कर पंचायत समिति स्तर से सहीं प्रविष्टि इन्द्राज कर जिला स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही आज ही पूर्ण कराने का श्रम करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, गावि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kishor Sharma
Designation : Superintending Engineer
Date: 2024.08.27 13:20:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10020357